कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया।

आदेश सं०–मान्यता/ 8484-87 /2017–18 दिनांक – 31-12-2018

सेवा मे,

रघुकुल एकेडमी, बंगरूआ, प्रतापपुर, देवरिया, उ0प्र0।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुक और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार /निरीक्षण के सन्दर्भ में, मैं रघुकुल एकेडमी, बंगरूआ, प्रतापपुर, देवरिया, उ0प्र0। को कक्षा 01 से कक्षा 05 तक हेतु दिनांक 31.12.2018 से–दिनांक 30.12.2021 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ:–

1. मान्यताके लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 5 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तद्नुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावक को किसी जॉच प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा–

क. बालक की आयु–प्रमाण न होने पर,

ख.धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:

(एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(दो) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जाएगा।

(तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।

(तीन–बी) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर, ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।

Manager
RAGHUKUL ACADEMY
Bangarua Deoria (U. P.)

PRINCIPAL
RA UKUL ACADEMY
BANGARUA, DEORIA (U.P.)

...का शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारित के ...वितरित किया जायेगा।

...उपलब्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले ...का अभिनिर्धारण;

...अध्यापक, अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और

(सात) अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया कलापों में निजी रूप से स्वयं को नहीं लगायेगा।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करना जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह, या व्यष्टि संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।

13. विद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या 34 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक का उद्धृत करने का कष्ट करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धि शर्तों को निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय का कार्य प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18. यह विद्यालय स्व वित्तपोषित है। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

19. किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय

(एम०एन०भंडारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), सप्तम मण्डल, गोरखपुर
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्प संख्यक /पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, देवरिया
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद–देवरिया

Manager
RAJGURUKUL ACADEMY
Bangarua, Deoria (U.P.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

PRINCIPAL
RAJGURUKUL ACADEMY
BANGARUA, DEORIA (U.P.)